

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 5706/2024

- कवलजीत कौर पत्नी स्वर्गीय श्री सुरजीत सिंह सेठी, निवासी सी-35, आनंद विहार, रेलवे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर
- आनंददीप सिंह सेठी, पुत्र स्वर्गीय श्री सुरजीत सिंह सेठी, निवासी सी-35, आनंद विहार, रेलवे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर

----याचिकाकर्ता

बनाम

उप आयकर निदेशक (जांच-3), जयपुर, जिसका पता न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल, भगवान दास रोड, जयपुर है।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री सिद्धार्थ रांका, एडवोकेट,
सुश्री अपेक्षा के साथ बापना, एडवोकेट
प्रतिवादी (ओं) के लिए : श्री सिद्धार्थ बापना, सलाहकार,
श्री मेहुल मित्तल, श्री सर्वेश जैन के साथ

माननीय श्रीमान. जस्टिस पंकज भंडारी

माननीय श्रीमान. जस्टिस प्रवीर भटनागर

आदेश

प्रकाशनीय

21/08/2024

- याचिकाकर्ताओं ने यह रिट याचिका दायर कर अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना की है कि अवैध रूप से जब्त की गई 34,02,005/- रुपये की नकदी को वापस किया जाए।
- संक्षेप में कहा जाए तो मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं के बैंक लॉकर से प्रतिवादी द्वारा 34,02,005 रुपये की राशि जब्त की गई थी। जब्ती के बाद, याचिकाकर्ताओं ने 30 दिनों के भीतर आवेदन कर ऐसी संपत्तियों के अधिग्रहण के अपने स्रोत की व्याख्या की और धन जारी करने की प्रार्थना की। याचिकाकर्ताओं ने जब्ती से पहले 17.01.2023 और 21.08.2023 दिनांकित पत्रों के माध्यम से प्रतिवादी को अपने लॉकरों में

नकदी के बारे में बताया था। जब्ती 21.09.2023 को हुई। याचिकाकर्ताओं ने नकदी जारी करने के लिए अधिकारियों के समक्ष 09.10.2023 और 06.11.2023 को आवेदन दायर किया था , हालांकि, प्रतिवादी ने इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी द्वारा जब्त नकदी की वापसी का दावा करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा ।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ रांका ने तर्क दिया है कि आयकर अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 132बी के तहत, पहले प्रावधान में, यह उल्लेख किया गया है कि जहां संबंधित व्यक्ति उस महीने के अंत से तीस दिनों के भीतर मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन करता है जिसमें संपत्ति जब्त की गई थी, संपत्ति की रिहाई के लिए और ऐसी किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत को मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए समझाया गया है, इस खंड में संदर्भित किसी भी मौजूदा देयता की राशि ऐसी संपत्ति से वसूल की जा सकती है और संपत्ति का शेष भाग, यदि कोई हो, [प्रधान मुख्य आयुक्त या] मुख्य आयुक्त या [प्रधान मुख्य आयुक्त या] आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के साथ, उस व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जिसकी हिरासत से संपत्ति जब्त की गई थी। यह तर्क दिया गया है कि दूसरा परंतुक अनिवार्य प्रकृति का है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि ऐसी परिसंपत्ति या उसका कोई भाग, जिसका उल्लेख पहले परंतुक में किया गया है, धारा 132 के अंतर्गत तलाशी या धारा 132ए के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए अंतिम प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, के निष्पादन की तिथि से एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि अधिनियम की धारा 132बी के दूसरे परंतुक के अंतर्गत एक अधिदेश प्रदान किया गया है, इसलिए नकदी धारा 132 के अंतर्गत प्राधिकरण या धारा 132ए के अंतर्गत अधिग्रहण की तिथि से 120 दिनों की समाप्ति के बाद जारी की जानी चाहिए थी।

4. याचिकाकर्ताओं के वकील ने मेसर्स हरीश फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन डीबी सिविल रिट याचिका संख्या **14857/2022** का हवाला दिया है, जिस पर इस न्यायालय की खंडपीठ ने 03.01.2024 को निर्णय दिया था। इस मामले में खंडपीठ ने माना था कि अधिनियम की धारा 132बी का दूसरा प्रावधान अनिवार्य प्रकृति का है और उस मामले में प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर की गई तलाशी के अनुसार संपत्तियां जारी करने के आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। वकील ने

मीताबेन आर. शाह बनाम डीसीआईटी **2010 (2)** टीएमआई **684** (गुजरात उच्च न्यायालय), आशीष जयंतीलाल के मामले का भी हवाला दिया है। संघवाई (मेसर्स वीर का प्रस्ताव) इम्पेक्स) बनाम आईटीओ **2022 (4)** टीएमआई **1285** (गुजरात उच्च न्यायालय), खेम चंद मुकीम बनाम प्रधान आयकर निदेशक (इन्व.) **2020 (1)** टीएमआई **1114** (दिल्ली उच्च न्यायालय), जिसमें उच्च न्यायालयों ने माना है कि अधिनियम की धारा 132बी का दूसरा प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य है और यदि आवेदन पर 120 दिनों के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो जब्त की गई संपत्ति को छोड़ना होगा।

5. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वकील- श्री सिद्धार्थ बापना ने रिट याचिका का विरोध किया है। यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 132बी के दूसरे प्रावधान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दीपक कुमार अग्रवाल बनाम कर निर्धारण अधिकारी: **[2024] 298** करदाता **578** (इलाहाबाद) के मामले में विचार किया था, जिसमें यह माना गया था कि प्रावधान स्वतः रिहाई के किसी भी परिणाम का प्रावधान नहीं करते हैं। यह भी माना गया था कि अधिनियम की धारा 132बी(4)(बी) के तहत, केंद्र सरकार 120 दिनों की समाप्ति के बाद ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस आधार पर, श्री सिद्धार्थ ने तर्क दिया है। याचिकाकर्ताओं के वकील श्री. रंका ने तर्क दिया कि करदाता को संपत्ति वापस करने का कोई आदेश नहीं है और यदि संपत्ति वापस नहीं की जाती है, तो केंद्र सरकार पर जब्त की गई संपत्ति की वापसी या रिहाई में देरी के लिए ब्याज का भुगतान करने का दायित्व है। प्रतिवादी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 153बी के तहत, किसी भी जब्ती के लिए, कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कर निर्धारण आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।

6. हमने तर्कों पर विचार किया है।

7. वर्तमान मामले से संबंधित अधिनियम का प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार है

धारा 132बी: जब्त या अधिगृहीत परिसंपत्तियों का उपयोग।

“[वशर्ते कि जहां संबंधित व्यक्ति उस महीने के अंत से तीस दिनों के भीतर मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन करता है जिसमें परिसंपत्ति जब्त की गई थी, परिसंपत्ति की रिहाई के लिए और किसी भी ऐसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत को मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए स्पष्ट किया गया है], इस खंड में निर्दिष्ट किसी भी मौजूदा देयता की राशि ऐसी परिसंपत्ति से

वसूल की जा सकती है और परिसंपत्ति का शेष भाग, यदि कोई हो, [प्रधान मुख्य आयुक्त या] मुख्य आयुक्त या [प्रधान मुख्य आयुक्त या] आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से उस व्यक्ति को जारी किया जा सकता है, जिसकी हिरासत से परिसंपत्तियां जब्त की गई थीं:

परंतु यह और कि ऐसी परिसंपत्ति या उसका कोई भाग, जैसा कि प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट है, उस तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर निर्मुक्त कर दिया जाएगा, जिसको, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132-क के अधीन अधिग्रहण के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था;

(4) (क) केन्द्रीय सरकार उस रकम पर [प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए आधा प्रतिशत] की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी जो धारा 132 के अधीन जब्त या धारा 132-क के अधीन अधिगृहीत धन की कुल रकम में से, उपधारा (1) के खंड (i) के प्रथम परंतुक के अधीन जारी किए गए धन की रकम, यदि कोई हो, घटा दी जाए और उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट विद्यमान दायित्व के निर्वहन के लिए बेची गई आस्तियों के आगम, यदि कोई हों, इस धारा की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल रकम से अधिक हो।

(ख) ऐसा ब्याज उस तारीख से, जिसको धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार या धारा 132-क के अधीन अध्यपेक्षा निष्पादित की गई थी, एक सौ बीस दिन की अवधि की समाप्ति के ठीक बाद की तारीख से, निर्धारण [या पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना] के पूरा होने की तारीख तक चलेगा।

8. अधिनियम की धारा 132बी, प्रथम परंतुक और द्वितीय परंतुक के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि दूसरा परंतुक तभी लागू होगा जब मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन किया जाएगा और मूल्यांकन अधिकारी इस बात से संतुष्ट होंगे कि देयता वसूलने के बाद ऐसी परिसंपत्ति या परिसंपत्ति का हिस्सा उपयुक्त प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदन से उस व्यक्ति को जारी किया जा सकता है, जिसकी हिरासत से परिसंपत्तियां जब्त की गई थीं। इस प्रकार, दूसरे परंतुक को लागू करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी की कुछ संतुष्टि होनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक बार मूल्यांकन अधिकारी मौजूदा देयता के संबंध में और परिसंपत्तियों की वापसी के संबंध में संतुष्ट हो जाता है, तो दूसरा परंतुक लागू होगा और परिसंपत्तियां या परिसंपत्तियों का हिस्सा, जैसा भी मामला हो, 120 दिनों की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा। इस प्रकार, दूसरा परंतुक अनिवार्य है और यह मूल्यांकन

अधिकारी की संतुष्टि और उनके द्वारा निर्धारण और उपयुक्त प्राधिकारियों के अनुमोदन के बाद ही लागू होगा।

9. वर्तमान मामले में, आवेदन तीस दिनों के भीतर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दायर किया गया था, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने देयता या परिसंपत्तियों की वापसी के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस प्रकार, दूसरा परंतुक लागू नहीं होगा। इसके अलावा, पहला परंतुक कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं करता है और दूसरा परंतुक केवल तभी लागू होता है जब कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण किया गया हो।

10. जहाँ तक मामले के तथ्यात्मक पहलुओं का संबंध है, यह निर्विवाद है कि जब्ती 21.09.2023 को की गई थी और याचिकाकर्ताओं के लॉकरों से जब्त नकदी को वापस लेने के लिए 09.10.2023 और 06.11.2023 को आवेदन किया गया था, जिस पर प्रतिवादी द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। इसके बाद, प्रतिवादी द्वारा जब्ती से पहले, याचिकाकर्ताओं ने 17.01.2023 और 23.08.2023 के पत्रों के माध्यम से खुलासा किया था कि उनके बैंक लॉकरों में लगभग 37 लाख रुपये की नकदी थी।

11. क्या अधिनियम की धारा 132बी के दूसरे प्रावधान को अनिवार्य माना जाना चाहिए और क्या जब्त की गई परिसंपत्तियों को 120 दिनों की समाप्ति के बाद जारी किया जाना चाहिए, यह मुद्दा हरीश फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विचारार्थ आया और खंडपीठ ने माना कि प्रावधान अनिवार्य है और परिसंपत्तियों को 120 दिनों की समाप्ति के बाद जारी किया जाना चाहिए। दीपक कुमार अग्रवाल (सुप्रा) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष भी इसी तरह का विवाद उठा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 132बी का दूसरा प्रावधान अनिवार्य नहीं है क्योंकि वैधानिक मंशा के अभाव में, कानूनी तर्क की प्रक्रिया के माध्यम से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है-कि यदि 120 दिनों की अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो जब्त की गई संपत्ति को मौजूदा और संभावित मांगों की वसूली पर इसके प्रभाव के बावजूद जारी किया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार किया है और गुजरात उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि प्रावधान स्वचालित रिलीज के किसी भी परिणाम को

निर्धारित नहीं करता है क्योंकि संपत्ति को पहले उचित आवेदन दायर करके करदाता द्वारा लागू किया जाना चाहिए निर्णय लेने में देरी की स्थिति में, राजस्व विभाग पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि सभी परिसंपत्तियों को मुक्त करने के लिए कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है और चूँकि सरकार पर ब्याज का बोझ है, इसलिए यदि 120 दिनों के भीतर परिसंपत्तियाँ मुक्त नहीं की जाती हैं, तो अधिनियम की धारा 132बी(4)(ए) और (बी) के तहत ब्याज देय होगा।

12. याचिकाकर्ताओं के वकील श्री सिद्धार्थ रांका द्वारा उद्धृत किसी भी निर्णय में अधिनियम की धारा 132बी (4) (ए) और (बी) पर विचार नहीं किया गया है।

13. हमारा विचार है कि अधिनियम की धारा 132बी का दूसरा प्रावधान केवल तभी लागू होगा जब कर निर्धारण अधिकारी ने दायित्व निर्धारित कर लिया हो और इस निष्कर्ष पर पहुँच गया हो कि संबंधित व्यक्ति द्वारा अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत की व्याख्या कर दी गई है। वर्तमान मामले में, चूँकि कर निर्धारण अधिकारी ने आवेदन पर निर्णय नहीं लिया है, इसलिए अधिनियम की धारा 132बी का दूसरा प्रावधान लागू नहीं होगा। हमारा विचार है कि दूसरा प्रावधान अनिवार्य है, हालाँकि, यह तभी लागू होगा जब कर निर्धारण अधिकारी ने दायित्व निर्धारित कर लिया हो। प्रावधान के पीछे उद्देश्य यह था कि दायित्व के निर्धारण के बाद, संपत्ति और माल विभाग द्वारा अपने पास नहीं रखा जाना चाहिए।

14. इस न्यायालय की खंडपीठ ने हरीश फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय में अधिनियम की धारा 132बी (4)(ए) और (बी) पर विचार नहीं किया है और धारा 132बी के प्रावधान को मात्र पढ़ने पर ही उसे अनिवार्य माना गया है। उक्त निर्णय अनुचित है क्योंकि खंडपीठ ने अधिनियम की धारा 132बी (4) (ए) और (बी) के प्रावधानों पर विचार नहीं किया है। हरीश फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) मामले में खंडपीठ ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया है कि दूसरे प्रावधान को पहले प्रावधान के अधीन बनाया गया है।

15. हमारा यह मानना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय में अधिनियम की धारा 132बी (4)(ए) और (बी) पर विचार किया गया है और यह सही निष्कर्ष पर पहुँचा

है कि अधिनियम की धारा 132बी का दूसरा प्रावधान 120 दिनों की समाप्ति पर स्वतः रिहाई की बात नहीं करता है।

16. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं की राशि वापसी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। हालाँकि, चूँकि बैंक लॉकर से नकदी बरामद की जा चुकी है और वसूली से पहले ही, याचिकाकर्ताओं ने आयकर अधिकारियों को लॉकर में पड़ी नकदी के बारे में सूचित कर दिया था, इसलिए हम अधिकारियों को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं की बात सुनने के बाद एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर निर्णय लें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता अपने स्रोत के बारे में संतुष्ट हैं, तो अधिनियम की धारा 132बी (4)(ए) और (बी) के अनुसार ब्याज सहित राशि वापस की जानी चाहिए।

17. उपर्युक्त के मद्देनजर, रिट याचिका तदनुसार निपटाई जाती है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा हो गया है।

(प्रवीर भटनागर), जे

(पंकज भंडारी), जे

चंदन /53

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी